न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/ 14/2019

1. नत्थीलाल पुत्र शोभाराम जाति खटीक निवासी खटीक पाडा रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. कैलादेवी पत्नि नत्थीलाल जाति खटीक निवासी खटीक पाडा रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया तामील जरिये क्षेत्रीय अधिकारी (नेशनल हाइवे नम्बर 123 उँचा नगला से धौलपुर खण्ड) एफ 120 जनपथ श्यामनगर जयपुर।
2. भारत सरकार जरिये सचिव रा0राजमार्ग विभाग नई दिल्ली।
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 विरूद्व एवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 23.09.2016 बाबत खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा हाईवे न0 123 उंचा नगला से धौलपुर खण्ड एवार्ड सूची रूपवास।

उपस्थितः—
1—श्री गंगाराम शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण
2—श्री पंकज पाठक अभिभाषक अप्रार्थी न.1

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 विरूद्व एवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 23.09.2016 बाबत खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा हाईवे न0 123 उंचा नगला से धौलपुर खण्ड एवार्ड सूची रूपवास इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की सिचांई कृषि भूमि खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा एवं खसरा नम्बर 2003/1163 रकबा 6.00 बीघा वाके ग्राम कस्बा रूपवास तहसील रूपवास में स्थित है, प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान सिचिंत वर्ग के है, जिनकी गत 20 साल से ट्यूब बैल एवं बिजली से सिचाई

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

हो रही है। प्रार्थीगण का रास्ता रूपवास मेन रोड एनएच 123 उंचा नगला से धौलपुर खण्ड तक नेशनल हाइवे ऑथरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा निकाला जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त हाईवे के निर्माण के लिए और उसकी नाप एवं चौडाई के हिसाब से कस्बा रूपवास में भूमि अवाप्त की अधिसूचना समाचार पत्र में दिनांक 28.06.2015 को प्रकाशित की गई जिसके सबंध में नेशनल हाईवे संख्या 123 की सीमा में आने वाली कृषि भूमि के स्वामियों एवं कब्जाधारियों से आपत्ति चाही गई जिसमें प्रार्थीगण ने भी उचित प्रतिकर की मांग की थी। नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए अप्रार्थीगणों के कर्मचारियो द्वारा भूमि का सर्वेक्षण एवं पैमाइश की गई व कृषि भूमि की किस्म का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की आराजी सिंचित किस्म की आराजी थी जिसका मुआवजा दर 12,00,000/–प्रतिबीघा एवं बारानी की दर 10,00,000/–प्रतिबीघा निर्धारित की है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आरजी की पास की स्थित आराजी खसरा नम्बर 2003/1163 के सबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एवार्ड 2016–17 पारित किया गया था जिसके अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2003/1163 रकबा 0.2077 है0 का मुआवजा चाही भूमि की दर से निर्धारित किया जिसकी कीमत 1827754/–रू0 प्रार्थीगण को दिनांक 27.07.2018 प्राप्त हो गई है लेकिन प्रार्थीगण की दूसरी आराजी खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10बीघा का मुआवजा राशि 31,23,518/–रू0 बारानी भूमि की दर से निर्धारित की गई है। आराजी खसरा नम्बर 2002/1163 भी चाही आराजी है जिस पर पिछले 20 वर्ष से सिचांई से खेती हो रही है। एक ही स्थान पर एक ही किस्म की कृषि भूमि का अलग–अलग दर से मुआवजा निर्धारित करना गैरकानूनी, भेदभाव पूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी दिनांक 09.11.2014 को अपने आधिपत्य में ली थी जिसके बाद प्रार्थीगण उस पर कृषि कार्य नहीं कर पाये थे लेकिन मुआवजे का एवार्ड सन् 2016 में पारित किया जिसका भुगतान प्रार्थीगण को बारानी की दर से दिनांक 23.09.2016 में प्राप्त हुआ है जिस पर 18 प्रतिशत दर से ब्याज बनता है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी रूपवास द्वारा जारी एवार्ड सन् 2016 में संशोधन कर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10बीघा का मुआवजा 12,00,000/–रू0 प्रतिबीघा चाही भूमि की दर से निर्धारित किया जावे साथ ही ब्याज भी दिलाई जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थीगण ने जबाब पेश किया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई ।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये लिखित बहस में तर्क किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा उठायी गयी मियाद की आपत्ति के सबंध में कथन किया है कि एवार्ड के सबंध में जानकारी होते ही आपत्ति समय सीमा में कर दी थी। प्रार्थीगण ने दिनांक 16.08.2016 को उपखण्ड अधिकारी को सूचित किया था कि उसकी

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

आराजी खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा का मुआवजा बारानी तथा अन्य खसरा नम्बर 2003/1163 रकबा 6 बीघा का मुआवजा चाही से हुआ है। प्रार्थीगण ने यह भी अवगत कराया कि उसके खेतों की 15–16 वर्ष से कुऐं से सिचाई हो रही है और जमीन चाही श्रेणी की है। लेकिन पटवारी हल्का ने ख0न0 2002/1163 को बारानी दिखाया है जबकि दोनों खसर नम्बर पास ही स्थित है तथा एक ही कुऐ से सिचाई होती है इसलिए खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा का मुआवजा भी चाही की दर से दिलवाया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रूपवास से रिपोर्ट ली गई जिसमें मौके पर प्रार्थी की जमीन में अपने कुऐं से पानी देता है एवं बिजली ट्यूब बैल द्वारा सिचाई करता है। प्रार्थी ने मुआवजे के सबंध में आपत्ति समय सीमा में कर दी थी लेकिन अप्रार्थी के आश्वासन दिया की कार्यवाही हो रही है। प्रार्थी 80 वर्ष का वृद्व है फिर भी अप्रार्थी कार्यालय के बार–बार चक्कर लगाता रहा है और उसके आश्वासन पर प्रार्थना पत्र पहले प्रस्तुत नही किया। प्रार्थीगण ने दिनांक 24.09.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा था किन्तु अप्रार्थी द्वारा दिनांक 08.02.2019 को यह कहने पर कि आपके केस में कुछ नही हो सकता तो प्रार्थीगण ने बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। मियाद के सबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयो के सबंध में A.I.R M.P 151- Suresh kr.&Ors. V/sFirmK.MTaiyabali&Ors.,R.L.W.1999(1)S.C.107-N.Bala Krishnan V/s M.Krisnamurthy 2018(i) RRT601,S.C.-K Subbrayudu&Ors.V/S Special Dy.Collector (Aland Accqisition). माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णयों में अवधारित किया है कि पक्षकारों के हकों को नष्ट करने लिए परिसीमा के प्रावधान नही है और पर्याप्त कारण पर उदारता पूर्वक विचार करना चाहिये जिससे कि सारभूत न्याय दिया जा सके। प्रार्थीगण ने अपने कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 सपठित धारा 151 जा0दी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की मियाद के सबंध में आपत्ति सारहीन है। देरी को कण्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र अंदर मियाद माना जावें। नेशनल हाईवे संख्या 123 के निर्माण के लिए अप्रार्थीगण के कर्मचारियों द्वारा भूमि का सर्वेक्षण एवं पैमाइश की गई थी जिसके दौरान उनके द्वारा कृषि भूमि की किस्म का अवलोकन भी किया गया था और प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बरान 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा एवं 2003/1163 रकबा 6 बीघा सिचिंत है अर्थात चाही किस्म की है। प्रार्थीगण ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है। अधिनियम की धारा 3(डी) के अन्तर्गत कृषि भूमि के सबंध में चाही/बारानी को कोई श्रेणी नही है इसलिए प्रार्थी अपनी पूरी आराजी का मुआवजा 12 लाख रूपये प्रतिबीघा की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त एक ही स्थान पर एक ही कुऐं से सिचाई मौके पर एक ही किस्म की कृषि भूमि एक ही उद्देश्य के लिए अवाप्त की गई भूमि में मुआवजा दरों में अन्तर करना गैरकानूनी है। इस सबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में अवधारित किया है 2016 डीएनजे.एस.सी.314 एनडी शर्मा एवं अन्य बनाम

जिला कलक्टर
खैरथल (राज0)

यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य, 2017 डीएनजे.एस.सी.563 ए.वी.सुब्रहाम्णयम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में स्पष्ट किया है कि एक ही स्थान पर स्थित, मौके पर एक ही किस्म की भूमि एक ही नोटिफिकेशन एवं एक ही प्रयोजन के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा समान दर से दिया जाना चाहिए। प्रार्थी की आराजी ख0न0 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा के सबंध में प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार रूपवास को प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2016 के सवंध में तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि" मौके पर प्रार्थी अपनी जमीन में अपने कुऐ से पानी देता है एवं बिजली ट्यूब बैल द्वारा पानी देता है"। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा भी चाही किस्म की है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौके के देखे गलत रूप से बारानी अंकित करने में प्रार्थी की कोई गलती नही है। प्रार्थीगण मौके की स्थिति एवं तहसीलदार रूपवास द्वारा पत्र दिनांक 02.11.2016 द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा मुआवजा निर्धारण हेतु जारी दृष्टांत के अनुसार खसरा गिरदावरी, चौसाला आदि में बारानी भूमि के सिंचित होने का अंकन होने पर सिंचित दरों पर मुआवजा दिया जाना उचित समझा गया है मौके के अनुसार अपनी आराजी खसरा नम्बर 2003/1163 रकबा 2.10 बीघा का भी मुआवजा चाही भूमि की दर से शेष राशि मय ब्याज प्राप्त करने का निवदेन किया गया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण एन.एच ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 2002/1163 की अवाप्तशुदा भूमि के सवंध में पारित अवार्ड दिनांक 11.4.2016 के सवंध में प्रार्थना पत्र धारा 3जी दिनांक 31.01.2019 को पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अवार्ड पारित होने के 3 वर्ष बाद दायर किया गया है जिसका कोई उचित कारण भी अपने प्रार्थना में अंकित नही किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को राजस्व रिकार्ड में चाही भूमि दर्ज हो। प्रार्थीगण उक्त तथ्य को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे की जो राशि निर्धारित की गई है वह विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अवार्ड दिनांक 11.4.2016 को संशोधित करवाने व अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अन्त में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के आधार पर निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी संख्या 3 (भूमि अवाप्ति अधिकारी रूपवास)ने अपनी टिप्पणी में अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 2002/1163 में होकर भा0रा0राज0मार्ग संख्या 123 ग्राम रूपवास में होकर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अवार्ड जारी करने से पूर्व एन.एच.आई के

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रतिनिधि की उपस्थिति में तहसीलदार रूपवास की मौके की रिपोर्ट एवं डीएलसी की दर अनुसार जमाबंदी में अंकित भूमि की किस्म के अनुसार अवार्ड तैयार कर जारी किया गया है। अवार्ड जारी करने से पूर्व हितधारियों को समय समय पर सुना गया व स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया एंव हितधारियों की आपत्तियों का भी निस्तारण किया गया। प्रार्थी द्वारा अवार्ड जारी करने के समय तक कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया। खसरा नम्बर 2002/1163 का अवार्ड जमाबंदी में अंकित किस्म के अनुसार अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थीगण ने पूर्णतया सन्तुष्ट होकर विधिवत् अवार्ड राशि प्राप्त कर ली गई है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। उभयपक्षकारान अभिभाषक के कथनों एवं लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दिनांक 08.09.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि अवार्ड पारित वर्ष 2016–17 में होने की जानकारी दिनांक 16.8.2016 को सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी व प्रार्थी को कार्यालय से आश्वासन मिलने व प्रार्थी को दिनांक 08.02.2019 को कार्यालय से यह कहने पर अब इसके केस में कोई कार्यवाही नही हो सकती है, की जानकारी होने पर दिनांक 31.01.2019 को प्रार्थना पत्र 3जी पेश किया। जिसके सबंध में प्रार्थी द्वारा अपना शपथ–पत्र भी पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा इस सबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अपील को काफी विलम्ब से प्रस्तुत करने का हवाला देते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना की है, परन्तु न्यायालय का यह मानना है कि अपील में यदि कानूनी बिन्दु महत्वपूर्ण हो और उसमें सार प्रतीत होता है तो मियाद के बिन्दु को गौण कर देना चाहिये तथा मियाद के बिन्दु पर अदालत को कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिये।

तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र के गुणावगुण के निस्तारण हेतु मैरिट पर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल अवार्ड ग्राम रूपवास, नकल अवार्ड मुआवजा निर्धारण हेतु दृष्टांत,नकल मौका रिपोर्ट पटवारी, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2065–68 पेश की है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा का चाही की दर से मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा के नेशनल हाईवे निर्माण के समय भूमि की किस्म के सबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किये गये है, जिससे यह प्रमाणित हो सके की प्रार्थी की भूमि चाही हो। पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2069–2072 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2002/1163 रकबा 2.10 बीघा बारानी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि अवाप्ति अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अवार्ड जारी होने तक मुआवजे के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

।या है। अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे राशि का निर्धारण किया गया है वह अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अवार्ड दिनांक 11.4.2016 को संशोधित करवाने व अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही रहता है। अवाप्तशुदा भूमि का जो अवार्ड सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वह सही व उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 3जी (5) खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर